:: न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड (म0प्र0) ::

प्र0क्र0/66/2009-2010/स्व. निग. 12919/ 01/9/10

म0प्र0शासन द्वारा अनुविभागीय
अधिकारी, अनुभाग-अटेर जिला भिण्ड
(म0प्र0) ।

... आवेदक

विरूद्ध
=====

1.श्री प्रवीण कोरकू पुत्र ओमप्रकाश
कोरकू निवासी- ग्राम विरगवारानी
2. ब्रह्मकिशोर पुत्र गिरजाशंकर
निवासी ग्राम विरगवारानी ।
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी हाकिमसिंह
निवासी ग्राम विरगवारानी ।
4. जगदीश शरण पुत्र निहाल सिंह
ब्राह्मण निवासी ग्राम विरगवारानी
तहसील अटेर जिला भिण्ड (म0प्र0) ।

...अनावेदकगण

// कारण बताओ सूचना-पत्र //
= = = = = = = = = =

जर्ये सूचनापत्र सूचित किया जाता है, कि अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग अटेर द्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदन दिनांक- 15.7.2010 के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ -न्यायालय नायव तहसीलदार उप तहसील सुरपुरा तहसील अटेर के प्र0क्र0/01/2002-03 /अ-19 में पारित आदेश दिनांक- 26.12.2002 के द्वारा आपके पक्ष में किऐ गऐ, भूमिवंटन प्रकरण के विधिक परीक्षण उपरांत निम्नांकित त्रुटियां परिलक्षित होती है:-

1. भूमिवंटन कार्यवाही के दौरान प्रकाशित उद्घोषणा विहितरीति के अंतर्गत प्रकाशित होना नही पाई जाती है । क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा पर तामीली पंजी का क्रमांक/दिनांक अंकित नही है । साथ ही उद्घोषणा का प्रकाशन ग्राम की चौपाल,न्यायालय के सूचना पटल पर किस तारीख को प्रकाशन किया गया है, तत्संबंध में कोई तिथि अंकित होना नही पाई जाती है ।

2. आवेदक उर्मिला,ब्रह्मकिशोर,प्रवीण कोरकू की ओर भूमि आवंटन हेतु आवेदनपत्र

क्रमशः-2

भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किया गयाहै । इसके उपरांत भी नायव तहसीलदार द्वारा भूमिवंटन नियमो के प्रतिकूल आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता है ।

3. पीठासीन अधिकारी द्वारा भूमिवंटन से पूर्व पटवारी मौजा से रिपोर्ट प्राप्त किऐ वगैर एवं प्रश्नगत भूमि का मौका स्थल निरीक्षण किऐ वगैर आलौच्च आदेश भूमिवंटन नियमो के विरुद्ध पारित किया जाना प्रतीत होता है ।

4. प्रश्नाधीन वेहड भूमि वीहड कटाव नियंत्रण योजना से सुरक्षित हो चुके हो, तथा जिनकी गहराई 2.00 मीटर से अधिक न हो के तथ्य को ज्ञात किऐ वगैर पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमविरुद्ध आदेश पारित किया गया ।

5. हितग्राही जगदीशशरण पुत्र निहाल सिंह जाति ब्राह्मण निवासी विरगवा-रानी है । जो सामान्य वर्ग का हितग्राही होने के फलस्वरूप भूमिआवंटन की पात्रता नही रखता,क्योकि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश थे, कि ग्राम में उपलब्ध 2 % चरनोई से अधिक उपलब्ध भूमि केवल अनु.जा./अनु.ज.जा. के पात्र हितग्राहियो को भूमि वंटन किऐ जाने का प्रावधान होने के उपरांत भी नायव तहसीलदार द्वारा भूमिवंटन नियमो से परे होकर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है ।

6. हितग्राही भूमि स्थित ग्राम के स्थानीय निवासी है या नही ? के संबंध में नायव तहसीलदार द्वारा वगैर छान-बीन किऐ ही उनके पक्ष में किया गया भूमिवंटन आदेश नियमविरुद्ध होने से निरसन योग्य है ।

7. आवंटितियो एवं उनके परिवार के सदस्यो द्वारा आवंटन से पूर्व कितनी कृषि भूमि सिंचित/असिंचित धारित करते थे, के संबंध में जानकारी संकलित किऐ वगैर वादग्रस्त आदेश पारित किया गया है ।

8. पीठासीन अधिकारी द्वारा इस तथ्य को ही नजरंदाज किया है, कि शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल से भूमिवंटित भूमि को मिलाकर 2.00 है0 असिंचित भूमि से अधिक क्षेत्रफल तो नही हो जाता है, उक्त संबंध में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा भूमिवंटन नियमो का अध्ययन किऐ वगैर प्रश्नगत आदेश पारित किया गयाहै ।

अतः क्यो न भूमिवंटन आदेश अपास्त किया जाकर, प्रश्नाधीन भूमिकी आवंटन के पूर्व की स्थिति कायम की जावे । उक्त संबंध में स्वयम अथवा अधिकृत -

क्रमशः-3

प्र0क्र0/66/09-10/स्व. निग.

अभिभाषक के माध्यम से पेशी दिनांक- 13-9-2010 न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करें । नियत तिथि को अनुपस्थित रहने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी । यह कारण बताओ सूचनापत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(रघुराज राजेन्द्रन)
कलेक्टर
कलेक्टर
जिलाधिकारी (भिण्ड)
(म.प्र.)